UPEW010026302021

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah
पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**
(J.O. Code–UP1632)
Special Session Case 523/2021

उत्तर प्रदेश राज्य

.........अभियोजन।

बनाम

जितेन्द्र कुमार पुत्र गोरेलाल, निवासी विचपुरी खेड़ा पो० अधियापुर थाना फ्रैण्ड्स कालोनी जिला इटावा।

..........अभियुक्त।

मु०अ०सं0 332/2018
धारा–135 विद्युत अधिनियम।
थाना–फ्रैण्ड्स कालोनी, जनपद इटावा।

निर्णय

1. थाना फ्रैण्ड्स कालोनी द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध विचारण मु०अ०सं०–332/2018 अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2018 को समय 11.30 बजे अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय के निर्देशानुसार चलाये गये अभियान के अन्तर्गत वादी मुकदमा योगेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता मय विद्युतकर्मी द्वारा चेकिंग करने जितेन्द्र कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी विचपुरी खेड़ा, पो० अधियापुर इटावा मीटर की इनपुट में मीटर से पहले कट लगाकर विद्युत चोरी करते पाया गया।

3. लिखित तहरीर के आधार पर थाना फ्रैण्ड्स कालोनी जनपद इटावा पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०–332/2018, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्त को आहूत किया गया।

5. अभियुक्त जितेन्द्र कुमार यादव के न्यायालय में उपस्थित आने पर

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.04.17 16:53:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 26.10.2023 को उसके विरूद्ध धारा–135(1)(a)विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की माँग की।

6. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को प्रस्तुत किये गये है –

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू–1	योगेन्द्र कुमार	शिकायतकर्ता
पी०डब्लू–2	सुलेमान	चक्षुदर्शी साक्षी

7. अभियोजन पक्ष ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है –

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**सिद्ध/ प्रमाणित द्वारा**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–2	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–4	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०संहिता लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक व साक्षी के बयान गलत तथा मुकदमा गलत एवं झूठा चलाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य में कार्यालय अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड तृती०, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० का पत्र का.सं. 26 क प्रस्तुत किया गया।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सिद्ध होता है कि दिनांक 26.03.2018 को समय 11.30 बजे अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय के निर्देशानुसार चलाये गये अभियान के अन्तर्गत चेकिंग करने पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाये गये।

11. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार विद्युत अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा विद्युत का अवैध प्रयोग नहीं किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया धनराशि जमा की जा चुकी है। अतः अभियुक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. साक्षी पी.डब्लू.–1 उपखण्ड अधिकारी योगेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया हैं कि दिनांक 26.03.2018 को 33/11 के.वी. उपकेन्द्र कुनैरा में वह अवर अभियंता के पद पर कार्यरत था। उसी दिन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी रोकने हेतु सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया था। अभियान अधियापुरा, विचपुरी खेड़ा व डुंगरी में चलाया गया था। दौरान चेकिंग पाँच लोगों को चैक किया, जिसमें जितेन्द्र कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी विचपुरी खेड़ा थाना फ्रैण्ड्स कालोनी जिनका संयोजन सं० 2731/147276 के द्वारा मीटर के पहले से कट लगाकर 2 कोर काले रंग की केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करते पाये गये। जिनके विरुद्ध थाना फ्रैण्ड्स कालोनी में लिखित तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया गया था, जो पत्रावली में कागज सं० 5 क है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर उसके व सभी गवाहों के हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श–क 1 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। अपनी प्रति–परीक्षा में साक्षी द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि जितेन्द्र कुमार ने विद्युत देय मय बकाया व जुर्माना व शमन शुल्क पूरा जमा कर दिया है... ... .चेकिंग के समय केबिल जब्त की गयी थी। फिर वह केबिल थाने में तहरीर के साथ जमा की गयी थी।

13. साक्षी पी.डब्लू.–2 संविदा लाइन मैन सुलेमान ने अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया हैं कि दिनांक 26.03.2018 को वह उपकेन्द्र कुनैरा में संविदा लाइन मैन के पद पर कार्यरत था। उसके साथ योगेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता भी तैनात थे। उस दिन 11:30 बजे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चेकिंग अभियान विचपुरी खेड़ा में चलाया गया तो पाया कि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी विचपुरी खेड़ा थाना फ्रैण्ड्स कालोनी मीटर के इनपुट में मीटर से पहले कट लगाकर विद्युत चोरी करते पाया गया। तथा 11 हाथ की 2 कोर काली केबिल भी बरामद की गयी। अभियुक्त से कागज दिखाने को कहा गया तो कासिर रहा। अभियुक्त के विरुद्ध थाना फ्रैण्ड्स कालोनी में अवर अभियन्ता योगेन्द्र कुमार द्वारा तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया गया जो पत्रावली में प्रदर्श–क 1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी व शिनाख्त करता है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। अपनी प्रति–परीक्षा में साक्षी द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि उक्त प्रकरण में शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा हो चुका है। अब कोई देय शेष नहीं है।

14. पत्रावली में कागज सं० 26 क अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड तृतीय, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत पत्र, पत्रांक सं० 578/ वि.वि.ख.तृती०सैं०/दिनांकित 07.04.2018 की छायाप्रति दाखिल है, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा शमन धनराशि 10,000/–रुपये तथा राजस्व निर्धारण की धनराशि 15,853/–रूपये जमा करना विदित होता है।

15. धारा–152(3) विद्युत अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि– समुचित सरकार या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा उपधारा–(1) के अनुसार अपराध के शमन के लिए धनराशि स्वीकार करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–300 के अर्थ में दोषमुक्ति के समान समझा जायेगा।

16. अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत अभियुक्त जितेन्द्र कुमार धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार द्वारा धारा–481(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अनुपालन में 20,000/–रुपये का निजी बन्धपत्र व समराशि की दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक–17.04.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–17.04.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

परिशिष्ट–अ

मााननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या (एस) 2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

परीक्षित गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	अभियोजन गवाह का नाम	विवरण
पी०डब्लू–1	योगेन्द्र कुमार	शिकायतकर्ता
पी०डब्लू–2	सुलेमान	चक्षुदर्शी साक्षी

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित/ साबित किया
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–2	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–4	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

दिनांक–17.04.2026

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632